न्यायालय जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी गोपाल,प्रभू पुत्र कनीराम गुर्जर बनाम रामजीलाल पुत्र गोकल गुर्जर व ग्रा.प. बरनावदा, निवासी परसीपुरा तहसील खण्डार

किस्म प्रकरण–निगरानी प्रकरण संख्या 02/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न/ता अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
25.3.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि निगरानीगुजरान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994 के तहत श्रीमान के न्यायालय मे पेश किया गया है जिसमे न्यायालय के पत्रांक 4062 दिनांक 2.8.16 द्वारा मूल पटटा मिसल ग्राम पंचायत बरनावदा से चाही गयी थी जिसके संबंध मे ग्राम पंचायत बरनावदा द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.8.2016 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि श्री रामजीलाल पुत्र गोकल गुर्जर निवासी परसीपुरा का पटटा वैद्य नही नही है जो पटटा पेश किया गया है वो ग्राम पंचायत कार्यालय में कही भी दर्ज रिकार्ड नही है। ना ही सचिव के हस्ताक्षर है। तथा उक्त पटटे सें संबंधित पत्रावली भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होने के कारण उक्त पटटे को खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया। चूंकि वांछित रिकार्ड ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है जिसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है इसलिए प्रकरण मे बहस सुनी जाकर निर्णय पारित करने हेतु वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी रामजीलाल पुत्र गोकल गुर्जर के पक्ष में दिनांक 20.10.1986 को आबादी का पटटा जारी किया गया है जो विधि विरूद्व एवं अवैधानिक है क्योकि उक्त निर्णय व पटटा अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता को बिना साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिये बिना ही एक तरफा कार्यवाही कर जारी किया गया है। यह कथन भी किया कि ग्राम पंचायत बरनावदा द्वारा आपत्ति नोटिस पडोसियों को जारी नही किया ओर ना ही आपत्ति नोटिस पर पडोसियों के हस्ताक्षर करवाये गये है। वार्ड पंचों द्वारा मौका नही देखा गया है ओर ना ही मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। इस प्रकार मौके की वास्तविक स्थिति देखे बिना निर्णय पारित किया गया है। यह कथन भी किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पटटा राजस्व भूमि ख0न0 181/09 जो निगरानीकर्ता की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसमे ग्राम पंचायत को पटटा देने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे जिस स्थान का पटटा जारी किया गया है उस स्थान पर उसका कब्जा नही है तथा जारी किये गये पटटे में दिशाओं का भी अंकन नही किया गया है जिससे राजस्व भूमि में पटटा दिया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे में पश्चिमी की ओर भैरू का प्लाट दर्शाया गया है जबकि पश्चिम दिशा मे भैरू का प्लाट नही है तथा पटटा पर संख्या भी अंकित नही है। पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 7.4.2016 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 181/9/1 रकबा 4.00 बीघा के पूर्व की मेड पर अप्रार्थी रामजीलाल गुर्जर द्वारा बाडा बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है। कथन के समर्थन में दस्तावेज सूची मय कुल किता 5 दस्तावेज यथा नकल आर्डरशीट मु.न. 27/15, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान, नकल जमाबन्दी ख0न0 181/9/1,नकल नक्शा ट्रेस ख0न0181/9/1 ग्राम परसीपुरा एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार पेश किये गये। चूंकि उक्त पटटा निगरानीकर्ता के कब्जे व खातेदारी की आराजी ख0न0 181/09 पर जबरन कब्जा करने हेतु दिनांक 10.2.2016 को आया ओर निगरानीकर्ता से कहॉ कि इस जगह का मेरा पटटा है मैं कब्जा करूंगा। तब जाकर पटटे की जानकारी प्राप्त होने पर निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद पेश कर पटटा दिनांक 20.10.1986 को निरस्त किये जाने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।	

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बरनावदा द्वारा दिनांक 20.10.1986 को मुझ अप्रार्थी के पक्ष मे जारी किया गया पटटा विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है। यह कथन भी किया कि वर्तमान सरपंच,ग्राम पंचायत बरनावदा व निगरानीकर्ता आपस में मिले हुए है इसलिए उक्त आवंटन मिसल को नही भेजकर उक्त पटटा फर्जी होने की पुष्टि अपनी रिपोर्ट में अंकित कर रहे है। यह कथन भी किया कि उक्त पटटे की भूमि को लेकर निगरानीकर्ता द्वारा एक दावा मु0न0 27/2015 उनवानी गोपाल बनाम रामजीलाल न्यायालय उपजिला कलेक्टर खण्डार के न्यायालय मे वाद पेश कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार के न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है। निगरानीकर्ता का यह कथन गलत है कि उक्त पटटे की जानकारी दिनांक 10.2.2016 को प्राप्त हुई है क्योकि उक्त भूखण्ड को लेकर निगरानीकर्ता द्वारा 2015 में न्यायालय उपजिला कलेक्टर खण्डार एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मे वाद दायर कर रखा था। जिसमे मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड पर अपना मालिकाना हक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ग्राम पंचायत बरनावदा द्वारा जारी पटटा दिनांक 20.10.1986 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी अपनी पटटाशुद्वा भूखण्ड पर काबिज है इसलिए निगरानीकर्ता मुझ अप्रार्थी को मेरी पटटा शुद्वा भूखण्ड से बेदखल करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र झूंठे एवं बेबुयान तथ्यो पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह कथन भी किया कि प्रार्थीगण को उक्त पटटे की जानकारी 2015 से ही थी किन्तु निगरानी 4.3.2016 को श्रीमान के न्यायालय मे पेश की गयी जो मयाद बहार होने से खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि प्रकरण में पटटे सें संबंधित मूल मिसल के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा वैध अथवा अवैध होने की पुष्टि किया जाना भी सम्भव नही है। तथा प्रकरण से संबंधित भूखण्ड को लेकर सिविल न्यायालय एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के न्यायालय मे वाद विचाराधीन है जिसमे पक्षकारान का स्वामित्व निधारित होना है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त मै निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ कि निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित पटटा दिनांक 20.10.1986 की मूल मिसल ग्राम पंचायत बरनावदा की रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध नही है तथा बिना मूल मिसल के उक्त पटटा सही अथवा गलत होने की पृष्टि किया जाना सम्भव नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड को लेकर एक दावा मु0न0 27/2015 उनवानी गोपाल बनाम रामजीलाल न्यायालय उपजिला कलेक्टर खण्डार मे तथा एक वाद सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमे पक्षकारान का स्वामित्व निर्धारित किया जाना है। फलस्वरूप ग्राम पंचायत बरनावदा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 20.10.1986 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति में निगरानीगुजरान की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीगुजरान की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 14:25:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: